

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामिन् स्विकार नहीं करती है ।
- (ii) विपरीत भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजस्वीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी बलिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

प्रकल खिड्डी वेकल आवासीय प्रयोजनाम्बे

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 670 दिनांक 13/08/2020

पत्नी + 1 श्रीमती सलीम खां राजेश

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12500/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9067/1098, 1097

दिनांक 13/08/2020 को जमा करा दी है ।

दिनांक 13/08/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

Rajal Hans

राजेश/श्रीमती

(Husband)

Sonu

Sharma